उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या–6490/77–4–23/97(अपील)/22
लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2023

मैसर्स मनीषा पैकेजिंग — पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण — विपक्षीगण

मैसर्स मनीषा पैकेजिंग द्वारा ग्रेटर नोएडा में आवंटित भूखण्ड संख्या–351, 352, सेक्टर–ईकोटेक–1 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 की धारा–12 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 28.08.2023 को सुनवाई की गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में एवं सुनवाई के समय पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नवत् अभिकथन प्रस्तुत किए गएः–

2. मैसर्स मनीषा पैकेजिंग को आवंटित भूखण्ड संख्या–351, 352, सेक्टर–ईकोटेक–1 एक्सटेंशन क्षेत्रफल–2000 वर्गमीटर दिनांक 30.08.2005 को आवंटित किया गया है, इसका लीज डीड दिनांक 30.11.2009 को हस्ताक्षरित किया गया। आंवटी Printed Corrugated Boxes का निर्माण करता है। प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 11.10.2022 में प्राधिकरण ने अध्यादेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में 31.12.2022 तक यूनिट को क्रियाशील न करने की वजह से पट्टा प्रलेख निरस्त करने के निर्देश निर्गत किए हैं।

3. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को देखा गया एवं उनके तर्कों को सुना गया।

4. प्रकरण में वस्तु–स्थिति निम्नवत् है :–

आवंटी द्वारा दिनांक 30.11.2009 को लीज डीड हस्ताक्षरित करने के उपरान्त आवंटी द्वारा समस्त प्रीमियम धनराशि का भुगतान किया जा चुका है एवं इकाई द्वारा समस्त निर्माण कार्य वर्ष–2014 से पूर्व पूर्ण कर इकाई को कार्यशील कर दिया गया था। इसकी सूचना इनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकरण को दी गयी थी। आवंटी के अनुसार इकाई की कार्यशीलता से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र भी प्राधिकरण में उपलब्ध करा दिए गए थे। आवंटी द्वारा 2014 की गूगल मैप में भी अपनी इकाई के पूर्ण निर्माण को दर्शाया है। इकाई का निर्माण कार्य 15.01.2013 तक पूर्ण करने विषयक चार्टेड इंजीनियर के प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं तथा दिनांक 26.12.2014 को DIC-II प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है, जो इकाई के भौतिक निरीक्षण के उपरान्त जारी किया जाता है। यह इकाई की कार्यशीलता का भी प्रमाण पत्र है। इकाई में 18.12.2015 को विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है और नियमित बिजली बिल के भुगतान के भी सुबूत प्रस्तुत किए गए हैं।

5. उपरोक्त सभी सूचनाएं प्राधिकरण को ई–मेल द्वारा भेज दी गयी थीं और प्राप्ति रसीद 02.01.2015 आवंटी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

6. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवंटन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम–2022 के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है। उक्त अधिनियम के लागू होने के काफी पहले से प्रार्थी का उद्योग क्रियाशील है।

7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश 05.03.2019 में यह उल्लेख किया गया है कि बिना कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के क्रियाशीलता प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित नहीं होगा। उक्त के दृष्टिगत प्रार्थी को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जो मुख्यतः फायर एन.ओ.सी. और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के आधार पर निर्गत किया जाता है, प्राप्त करना था। प्रार्थी को क्रियाशीलता का प्रमाण पत्र इसलिए नहीं निर्गत किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं है।

8. ऐसे में यह उचित होगा कि अब प्रार्थी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्राधिकरण में आवेदन और प्राधिकरण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ ही साथ क्रियाशीलता प्रमाण पत्र भी आवंटी को उपलब्ध कराए।

9. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश संख्या–580, दिनांक 11.10.2022 निरस्त किया जाता है।

10. प्राधिकरण को यह निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधित) अधिनियम–2022 के प्राविधान उन यूनिट्स पर लागू नहीं होते हैं, जो इस अधिनियम के पूर्व की तिथि से फंक्शनल हैं। अतः ऐसे प्रकरण जहॉ यूनिट उपरोक्त अधिनियम के पूर्व से फंक्शनल हैं, परन्तु किन्हीं कारणों से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/फंक्शनेलिटि सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर सके हैं, उन्हें कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं फंक्शनेलिटि/क्रियाशीलता प्रमाण पत्र औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्गत करने की कार्यवाही की जानी चाहिए न कि उपरोक्त अधिनियम का उल्लेख करते हुए एक फंक्शनल यूनिट के लीज निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए।

11. उपरोक्त तथ्यों व निर्देशों के साथ पुनरीक्षणकर्ता की याचिका दिनांक 11.10.2022 तदनुसार निस्तारित की जाती है।

21.10.23

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्याः–6490 (1)/77–4–23/97(अपील)/22, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
3–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा, गौतमबुद्ध नगर।
4–अधिकृत हस्ताक्षरी, मैसर्स मनीषा पैकेजिंग, 231, टैगोर पार्क, दिल्ली।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।